



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या - 853/2023

लोकेश कुमार खुराना

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य, माध्यमिक शिक्षा विभाग, सिविल सचिवालय,
लखनऊ एवं अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: - मोती लाल यादव

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. वाद सुना गया।

2. यह जनहित याचिका वर्ष 2023 में निम्नलिखित अनुतोषों की मांग करते हुए दायर की गई थी,

"(i). परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए विरोधी पक्षकारों /सक्षम प्रतिवादीगण को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए कि उत्तर प्रदेश राज्य में किसी भी शैक्षणिक संस्थान का प्रबंधन या अधिकारी, अभिभावक शिक्षक संघ (पीटीए) की आड़ में छात्रों और/या उनके अभिभावकों से दान या अंशदान या किसी अन्य नाम से कोई धन नहीं वसूलेंगे और यदि ऐसा करते पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध उपयुक्त और कठोर कार्रवाई की जाए;

(ii). परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए विरोधी पक्षकार संख्या 1 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 7 (ग) के साथ-साथ अभिभावक-शिक्षक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संघ नियमावली 1986 का सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए;

(iii). ऐसी कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जैसा कि माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में तथा न्यायहित में उचित समझे, भी कृपया पारित किया जाए;

(iv). विरोधी पक्षकारों के विरुद्ध वादव्यय सहित जनहित याचिका स्वीकार की जाए।"

3. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (एतस्मिन्पश्चात् 'अधिनियम, 1921' के रूप में संदर्भित) की धारा 7-ग और 7-घ निम्नवत हैं:

"**धारा 7-ग: किसी संस्थान में प्रवेश के लिए कोई चंदा (डोनेशन) लेने पर रोक** – कोई भी व्यक्ति जो किसी संस्थान के प्रबंधन से जुड़ा हो और संस्थान का कोई प्रमुख या शिक्षक या उसका कोई अन्य कर्मचारी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किसी भी आदेश में निर्दिष्ट दरों पर शुल्क के अलावा, किसी भी छात्र से या उसकी ओर से किसी भी प्रकार का अंशदान, दान, शुल्क, या किसी भी प्रकार का भुगतान, चाहे नकद में हो या वस्तु के रूप में, नहीं लेगा या प्राप्त नहीं करेगा या प्राप्त नहीं करवाएगा [उसे ऐसे संस्थान में प्रवेश देने की शर्त के रूप में।]

धारा 7-घ: धारा 7-ख या धारा 7-ग के उल्लंघन के लिए दंड– जो कोई भी धारा 7-ख या धारा 7-ग के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से दंडनीय होगा जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है और जुर्माने से भी, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा। यदि उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कोई सोसायटी या व्यक्तियों का कोई संघ है, तो ऐसी सोसायटी या संघ का प्रत्येक सदस्य जो जानबूझकर और स्वेच्छा से ऐसे उल्लंघन को अधिकृत करता है या अनुमति देता है, वह इसी प्रकार दंडनीय होगा।"

4. इस स्तर पर, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने न्यायालय को सूचित किया कि उत्तर प्रदेश स्व-वित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 (एतस्मिन्पश्चात् 'अधिनियम, 2018 के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला शुल्क नियामक समिति है।

5. अधिनियम, 2018 की धारा 1(3) में उल्लिखित खंड (घ) के अंतर्गत परिभाषित बोर्डों द्वारा मान्यता/संबद्धता प्राप्त स्व-वित्तपोषित स्वतंत्र पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाई स्कूल और

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इंटरमीडिएट कॉलेजों पर लागू होता है।

6. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने हमारा ध्यान वर्ष 2018 के अधिनियम की धारा 8, विशेष रूप से इसकी उप-धारा (4) की ओर आकर्षित किया, जो निम्नवत है:

"8(4). जिला शुल्क नियामक समिति के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी:

(क) धारा-4 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात शुल्क वृद्धि से अधिक प्रस्तावित शुल्क वृद्धि से सम्बन्धित प्रबन्ध समिति से प्राप्त प्रस्तावों पर विनिश्चय करना;

(ख) ऐसे विद्यालय के ऐसे छात्र या संरक्षक अथवा अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन की शिकायत सुनना जिसकी शिकायत इस अधिनियम के अधीन पन्द्रह कार्य दिवसों के भीतर विद्यालय के प्रधान द्वारा अनसुनी रह जाती है:- (i) धारा-4 के अधीन समुचित प्राधिकारी के लिए संसूचित किये गये शुल्क से अधिक प्रभारित किये जाने वाले शुल्क को नियत करना;

(ii) प्रभारित किये जा रहे कैपिटेशन शुल्क नियत करना,

(iii) आगामी शैक्षणिक वर्ष के दौरान शुल्क पुनरीक्षण नियत करना और

(iv) समुचित प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किये बिना अनुज्ञात से अधिक शुल्क वृद्धि को नियत करना;

(v) किसी विशिष्ट दुकान से पुस्तकें, जूते, मोजे व यूनिफार्म आदि क्रय करने की मजबूरी को नियत करना;

(vi) जिला शुल्क नियामक समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना पाँच वर्ष के भीतर विद्यालय के पोशाक में परिवर्तन; (vii) धारा-7 के अधीन यथा उपबंधित प्रकटीकरण न किये जाने को नियत करना;

(viii) धारा-3 (तीन) ग में किये गये उपबन्ध के उल्लंघन के पश्चात प्रतिभूति धनराशि / अवधान धनराशि का प्रतिदाय न किये जाने को नियत करना;

(ix) धारा 6 (दो) के अधीन उल्लंघन को नियत करना, "

7. हमारी राय है कि जब भी शक्ति के दुरुपयोग और अधिनियम, 1921 की धारा 7 (ग) तथा अभिभावक-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

शिक्षक संघ नियमावली, 1986 या अधिनियम, 1986, यदि यह लागू हो, के उल्लंघन में कार्य करने का कोई विशिष्ट घटना याचिकाकर्ता या जनता के किसी अन्य सदस्य के संज्ञान में आती है, तो वह स्थिति के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला शुल्क नियामक समिति से संपर्क कर सकता है और उन्हें इसके बारे में सूचित कर सकता है, जिसके बाद संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला शुल्क नियामक समिति जांच करने और ऐसी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी जो विधि के अंतर्गत अनुमेय हो। यदि उनके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है, तो वे मामले को उक्त उद्देश्य के लिए सक्षम प्राधिकारी को अग्रसारित करेंगे।

8. यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो ऐसा व्यक्ति उत्तर प्रदेश के माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष से भी संपर्क कर सकता है, जो विधि के अनुसार समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए बाध्य होंगे, यदि कोई हेतुक हो।

9. वाद *निस्तारित* किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

12 फरवरी, 2026

एमवीएस